पंजीकृत डाक द्वारा

छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर–492002

24 DEC 2014

क्रमांक एफ 3–23/2010/12 नया रायपुर, दिनांक

प्रति,

आवेदक मेसर्स श्री बजरंग,
पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड,
खसरा क्रमांक 2/3, ग्राम गोंदवारा,
उरला इण्डस्ट्रीयल काम्पलेक्स,
रायपुर, छत्तीसगढ़।

विषयः– जिला व तहसील नारायणपुर, ग्राम छोटेडोंगर स्थित वन कक्ष क्र. 252, 267, 268 एवं 269 का कुल रकबा 57.00 हेक्टर (वन भूमि) क्षेत्र पर खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा स्वीकृति हेतु अनुमोदित मायनिंग प्लान तथा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत अनुमति प्रस्तुत करने बाबत्।

––:0:––

मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड (पूर्व में श्री बजरंग मेटालिक्स एण्ड पावर लिमिटेड) के पक्ष में जिला व तहसील नारायणपुर, ग्राम छोटेडोंगर स्थित वन कक्ष क्र. 252, 267, 268 एवं 269 का कुल रकबा 57.00 हेक्टर (वन भूमि) क्षेत्र पर खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा स्वीकृति हेतु 30 वर्ष की अवधि के लिए भारत सरकार, खान मंत्रालय के पत्र क्रमांक 5/96/2010–M.IV, नई दिल्ली, दिनांक 13.4.2011 द्वारा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 5(1) के तहत पूर्वानुमोदन प्रदाय किया गया है।

2/ आवेदित क्षेत्र जिसके अक्षांश–देशांश एवं वन कक्ष क्रमांक का विवरण निम्नानुसार हैः–

जिला, वनमण्डल, वनरेंज तथा ग्राम	आवेदित क्षेत्र का विवरण					
	वन कक्ष क्रमांक	आवेदित रकबा (हेक्टर)	आवेदित क्षेत्र में से खनिपटटा स्वीकति हेतु उपलब्ध रकबा (हेक्टर)	आवेदित क्षेत्र के कोआर्डिनेट्स टोपोशीट क्र. 65 E/7		
				बिंदु	देशांश	अक्षांश
1	2	3	4	5	6	7
नारायणपुर, नारायणपुर, छोटेडोंगर	252	20.00	20.00	A	81° 16' 58.6"	19° 24' 43.9"
	267	20.00	20.00	B	81° 17' 12.5"	19° 24' 51.4"
	268	14.00	14.00	C	81° 17' 31.9"	19° 24' 20.4"
	269	3.00	3.00	D	81° 17' 17.6"	19° 24' 12.5"
		57.00	57.00			

3/ आवेदित क्षेत्र राजस्व वन भूमि है। अतः उपर्युक्त उपलब्ध क्षेत्र पर खनिपट्टा स्वीकृत किये जाने के पूर्व भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत आवश्यक अनुमति प्राप्त की जानी होगी तथा पूर्वेक्षित क्षेत्र का अनुमोदित मायनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना होगा।

4/ आवेदित क्षेत्र संविधान की पांचवी अनुसूची के तहत अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अतएव प्रकरण को "समथा निर्णय" के परिप्रेक्ष्य में सचिव स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 15.10.2014 में तथा मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक दिनांक 25.11.2014 में अनुशंसा/अभिमत हेतु रखा गया था।

..................2.

समिति द्वारा अनुशंसा की गई कि यदि आवेदक द्वारा खनिपट्टा के अनुबंध में निम्नानुसार अतिरिक्त शर्त/कंडिका जोड़े जाने बाबत् स्वैच्छिक सहमति दी जाती है तो उसके पक्ष में खनिपट्टा स्वीकृत किए जाने हेतु विचार किया जाए :—

1 खनिपट्टाधारी द्वारा अकुशल गैर तकनीकी प्रकृति के कार्य हेतु स्वीकृत खनिपट्टा क्षेत्र के भीतर प्रभावित आदिवासी निवासियों अथवा गरीबी रेखा के नीचे आने वाले निवासियों के परिवार के एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध कराने में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी, यदि खान में उपलब्ध रोजगार अधिक है तो खान क्षेत्र के आस—पास के ग्रामों की बढ़ती दूरी के क्रम में प्रभावित निवासियों को रोजगार उपलब्धतानुसार प्रदाय किया जाएगा।

2 खनिपट्टा क्षेत्र के अंतर्गत आवेदित वन क्षेत्र में उत्पादित होने वाले वनोपज का कलेक्टर द्वारा निर्धारित अनुमानित मूल्य के आधार पर प्रोरेटा प्रति परिवार वार्षिक आय की राशि जिला कलेक्टर के पास जमा की जायेगी। तत्पश्चात यह राशि प्रभावित परिवार के मुखिया (कर्ता) के नाम पर ट्रांसफर की जाएगी। इस राशि में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।

3 खनिपट्टा की स्वीकृति से सीधे तौर पर प्रभावित ग्राम/ग्राम पंचायत तथा पट्टा क्षेत्र में मायनिंग से प्राप्त खनिज की रायल्टी के 20 प्रतिशत के बराबर राशि का व्यय सामुदायिक विकास के कार्यो यथा पर्यावरण सुधार, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि—आदि पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुमोदन पर किया जायेगा। उक्त राशि कंपनी के व्दारा कंपनी अधिनियम में प्रावधानित CSR में व्यय की जाने वाली राशि के अतिरिक्त होगी।

4 खनिपट्टाधारी पर्यावरण संरक्षण हेतु मायनिंग लीज के क्षेत्र में किए जाने वाले वृक्षारोपण में किस प्रजाति के वृक्ष रोपित किए जाए, इसके लिए संबंधित ग्राम पंचायत/ग्राम सभा से राय प्राप्त की जाएगी।

5 खनिपट्टाधारी द्वारा मायनिंग लीज क्षेत्र से खनन किए जाने वाले खनिज आयरन ओर का उपयोग आवेदक कंपनी के लौह अयस्क आधारित संयंत्र में कैप्टिव यूज में किये जाने बाबत् निम्नानुसार कंडिका खनिपट्टा अनुबंध में जोड़ी जाएगी:—

" The entire ore produced in the mining operation shall be used exclusively for own consumption in iron or steel making and cannot be either sold in India or exported to other countries."

5/ मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड (पूर्व में श्री बजरंग मेटालिक्स एण्ड पावर लिमिटेड) के पक्ष में जिला व तहसील नारायणपुर, ग्राम छोटेडोंगर के पैरा—2 की तालिका में उल्लेखित क्षेत्र पर स्वीकृत किए जाने वाले मायनिंग लीज के अनुबंध में पैरा—4 अनुसार अतिरिक्त शर्ते/कंडिकाएं जोड़े जाने हेतु सहमति देने के लिए आवेदक कंपनी को विभागीय पत्र दिनांक 10.12.2014 द्वारा लेख किया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में आवेदक कंपनी मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 11.12.2014 द्वारा अपनी स्वैच्छिक सहमति उपलब्ध कराई है।

6/ आवेदित क्षेत्र हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वन विभाग से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने में असफल रहने के फलस्वरूप यदि कंपनी द्वारा तैयार कराया गया मायनिंग प्लान निष्फल हो जाता है तो इसका कोई उत्तरदायित्व राज्य शासन पर नहीं होगा एवं इस संबंध में कंपनी द्वारा राज्य शासन के विरूद्ध कोई दावा (Claim) मान्य नहीं किया जाएगा।

7/ वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत आवश्यक अनुमति प्राप्त करने तथा मायनिंग प्लान तैयार कराये जाने के लिए जारी की जा रही इस अनुमति से आपको उपर्युक्त आवेदित क्षेत्र पर प्रवेश करने या खनन कार्य करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

.... 3.

8/ यदि आवेदक कंपनी को उपर्युक्त शर्ते मान्य हो तो पैरा–2 की तालिका में दर्शित क्षेत्र के लिए इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 06 माह की अवधि के भीतर इंडियन ब्यूरो ऑफ माईन्स से माइनिंग प्लान अनुमोदित कराकर इस विभाग को प्रस्तुत करें एवं साथ ही वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत आवश्यक अनुमति एवं खनन कार्य के लिए नियमानुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करने हेतु अग्रिम कार्यवाही करें।

संलग्न :–मानचित्र

(के0डी0 कुंजाम)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
खनिज साधन विभाग

पृ0क्रमांक एफ 3–23/2010/12 नया रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, भारत सरकार, खान मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. कन्ट्रोलर जनरल, भारतीय खान ब्यूरो, सेकेण्ड फ्लोर, ए ब्लॉक, इंदिरा भवन, सिविल लाईन, नागपुर, (महाराष्ट्र)।
3. क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, सेकेण्ड फ्लोर, ए ब्लॉक, इंदिरा भवन, सिविल लाईन, नागपुर, (महाराष्ट्र)।
4. सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड, व्यवसायिक परिसर, कबीर नगर, छ.ग. हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, रायपुर, (छ.ग.)।
5. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, बी–ब्लॉक, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर,(छ.ग.)।
6. कलेक्टर, जिला–नारायणपुर, (छ.ग.)।
7. नोडल आफिसर, मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अरण्य भवन, मेडिकल कॉलेज रोड, रायपुर ,(छ.ग.)।
8. वन मंडलाधिकारी, वन मंडल नारायणपुर, जिला नारायणपुर, (छ.ग.)।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

9. गार्ड फाईल रजिस्टर

सही/-
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
खनिज साधन विभाग

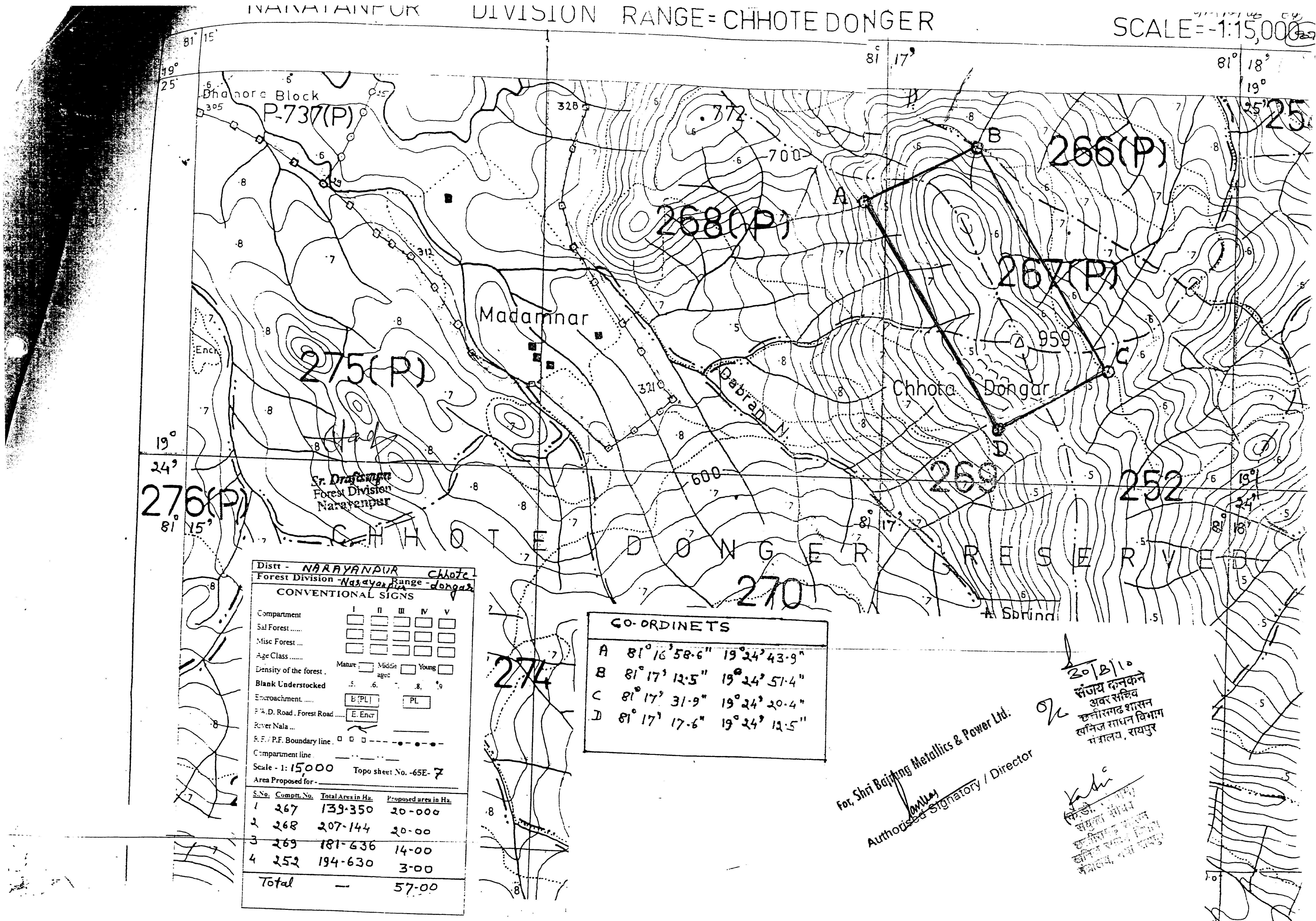

Distt - NARAYANPUR Range - Chhote Dongar

Forest Division - Narayanpur

CONVENTIONAL SIGNS

Compartment; Sal Forest; Misc Forest; Age Class (I, II, III, IV, V); Density of the forest (Mature, Middle aged, Young); Blank Understocked; Encroachment (E(PL), PL); P.W.D. Road, Forest Road (E. Encr); River Nala; R.F./P.F. Boundary line; Compartment line

Scale - 1:15,000 Topo sheet No. -65E-7

Area Proposed for -

S.No.	Comptt. No.	Total Area in Ha.	Proposed area in Ha.
1	267	139.350	20.000
2	268	207.144	20.00
3	269	181.636	14.00
4	252	194.630	3.00
Total	—		57.00

CO-ORDINETS

A	81°16'58.6"	19°24'43.9"
B	81°17'12.5"	19°24'51.4"
C	81°17'31.9"	19°24'20.4"
D	81°17'17.6"	19°24'12.5"